Polity: मई के पहले हफ्ते में 1-2 क्लास और आएंगी

Polity Class-13

सामाजिक लोकतंत्र (Social Democracy)

Prelims 2002

भारतीय संविधान में **DPSP** को शामिल करने का उद्देश्य है:

(a) राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना

(b) सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना

(c) गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना

(d) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना

सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है

राजनीतिक लोकतंत्र = लोगो द्वारा सरकार चुनना

सामाजिक लोकतंत्र = लोगों के पास स्वतंत्रता + समता + बंधुता का होना

Example: (मई 2022 मैगज़ीन) (**जर्मनी**)

चुनाव में नाजी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले।

पर उसने **सामाजिक लोकतंत्र** का सम्मान नहीं किया, इसीलिए देश बर्बाद हो गया

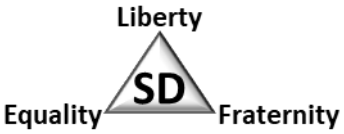

सामाजिक लोकतंत्र पर डॉ बी आर अम्बेडकर के विचार

Why BR Ambedkar's three warnings in his last speech to the Constituent Assembly resonate even today

On November 25, 1949, he spoke of the need to give up the grammar of anarchy, to avoid hero-worship, and to work towards a social – not just a political – democracy.

https://scroll.in/article/802495/why-br-ambedkars-three-warnings-in-his-last-speech-to-the-constituent-assembly-resonate-even-today

NCERT क्लास-11

अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता है, जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है, जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक-पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देना है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है। और न ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समताविहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रताविहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर

संविधान सभा के वाद-विवाद, खंड XI, पृष्ठ 979, 25 नवंबर 1949

INDIA TODAY

Explained: What is Family Courts Amendment Bill and why it concerns only two states

Kanu Sarda

New Delhi, UPDATED: Jul 18, 2022 20:06 IST

परिवार न्यायालय (Family Court)

परिवार न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2022

- ❑ यह हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के मौजूदा परिवार-न्यायालयों को वैधानिक/कानूनी दर्जा देता है
- ❑ यह 1984 के अधिनियम को निम्न राज्यों में पूर्वप्रभावी (पुरानी तारीख) (retrospectively) से लागू करता है:
  - नागालैंड में 12 सितंबर, 2008 से
  - हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी, 2019 से

https://doj.gov.in/family-court/

- ❑ **763** फैमिली कोर्ट काम कर रहे हैं (दिसंबर 2022)
- ❑ फैमिली कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार (सम्बंधित हाई कोर्ट के परामर्श से) करती है
- ❑ **परिवार न्यायालय अधिनियम 1984**: राज्य सरकारों को हाई कोर्ट के परामर्श से फैमिली कोर्ट की स्थापना करनी होगी-
  - 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर में
  - यदि आवश्यक हो तो अन्य क्षेत्रों में

Background

- 1984 के कानून के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों में इस अधिनियम के लागू होने की तारीख अधिसूचित करती है।
- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई कि केंद्र द्वारा राज्य (हिमाचल प्रदेश) में इस अधिनियम को अधिसूचित नहीं किया गया है । (यानी कि हिमाचल प्रदेश में फैमिली कोर्ट कानूनी दर्जे के बिना ही काम कर रहे हैं)
- नागालैंड में भी फैमिली कोर्ट के साथ ऐसा ही मामला था।
- इसलिए 2022 का संशोधन लाया गया।

फैमिली कोर्ट

- ❑ विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में सुलह और शीघ्र निपटान को बढ़ावा देते हैं। जैसे तलाक, नाबालिग की कस्टडी, संपत्ति का बंटवारा, पत्नी का भरण-पोषण, आदि।
- ❑ इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट की सहमति से की जाती है

सहकारी समितियां / Cooperatives

खेती, आवास, बैंकिंग, विपणन आदि के लिए।
Exam में सभी गतिविधियों को Correct माने।
(अवैध गतिविधि को छोड़कर)

Background: **(Prelims के लिए महत्वपूर्ण नहीं)**

1904 : सहकारी ऋण समिति अधिनियम
1912 : सहकारी समिति अधिनियम ने गैर-ऋण क्षेत्रों (हथकरघा, विपणन आदि) में भी सहकारी समितियों को अनुमति दी
1914 : मैक्लेगन समिति ने प्रत्येक प्रांत में सहकारी बैंकों की 3-स्तरीय संरचना की सिफारिश की
1919 : "सहकारी समितियां" प्रांतीय विषय बन गया
1929 : "अखिल भारतीय सहकारी संस्था संघ" की स्थापना हुई
1942 : बहु-इकाई (Multi-Unit) सहकारी समिति अधिनियम
1951 : अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (गोरवाला समिति)
1984 : बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम
2002 : बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम
2002 : सहकारी समिति पर राष्ट्रीय नीति
2011 : 97वें संविधान संशोधन द्वारा "सहकारी समितियां बनाना" मौलिक अधिकार बन गया

Part 9	पंचायतें	243 to 243-O
Part 9A	नगरपालिकाएं	243-P to 243-ZG
Part 9B	सहकारी समितियाँ	243-ZH to 243-ZT

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Govt presents multi-state co-op Bill in Lok Sabha to ease their merger

New Delhi | Updated: December 8, 2022 05:28 IST NewsGuard

संवैधानिक प्रावधान (भाग IX-B)

- निदेशकों की अधिकतम संख्या: **21** (एक अनुसूचित जाति/जनजाति, दो महिलाएं)
- सदस्यों का कार्यकाल : **5 वर्ष**
- **चुनाव** : क़ानून में बताए गए निकाय द्वारा
- खातों की वार्षिक **ऑडिट**: अनिवार्य
- सब कुछ राज्य द्वारा तय किया जाता है
  (MSCS के लिए : केंद्र द्वारा तय किया जाता है)

सहकारी समिति	पंजीकरण (Registration)	विनियमन (Regulation)
एक राज्य में संचालित होने वाली	उस राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत	उस राज्य के सहकारी समिति रजिस्ट्रार द्वारा
एक से अधिक राज्य में संचालित होने वाली	बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत	केंद्र के सहकारी समिति रजिस्ट्रार द्वारा

97वां संविधान संशोधन 2011

- ❑ राज्य के कानून कमजोर थे, चुनाव अक्सर स्थगित हो जाते थे, जवाबदेही की कमी थी, आदि।
- ❑ इसलिए, 97वां संविधान संशोधन लाया गया । इसके द्वारा नया FR, DPSP, Part जोड़ा गया:-
  - **FR →** अनुच्छेद 19(1)(C) : सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता की गारंटी
  - **DPSP →** अनुच्छेद 43-B : राज्य, सहकारी समितियों के गठन और कामकाज को बढ़ावा देगा
  - **PART →** IX-B : विनियमन, बोर्ड के सदस्यों, खातों का ऑडिट आदि के लिए प्रावधान।

2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 97वां संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द किया गया

- ❑ "सहकारी समितियां" 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आती है।
- ❑ लेकिन, 97वें संविधान संशोधन को आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।
- ❑ इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **PART IX-B** केवल बहु-राज्य सहकारी समितियों पर ही लागू है।

सहकारिता मंत्रालय

- ❑ सहकारी समितियों को मजबूत करना
- ❑ विज़न - सहकार से समृद्धि
- ❑ 2021 में गठित
  (पहले सहकारिता विभाग MoA&FW के अंतर्गत आता था)

आयुष्मान सहकार (सहकार = सहयोग)

- NCDC द्वारा शुरू किया गया था
- सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहकारी समितियों की सहायता करने के लिए

जून 2022 की खबर

- सहकारी समितियों को **GeM** पोर्टल से खरीददारी करने की अनुमति दी गई
- 8.5 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां और उनके 27 करोड़ सदस्य इससे फायदा होगा

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

- 1963, दिल्ली
- यह एक वैधानिक निकाय है
- NCDC अधिनियम 1962 द्वारा स्थापित
- सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है

NCDC के कार्य

- ✓ सहकारी समितियों के लिए योजना, प्रोत्साहन और वित्तपोषण कार्यक्रम
- ✓ सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान देना
- ✓ विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष वित्त पोषण (direct funding)
- ✓ ग्रामीण औद्योगिक सहकारी क्षेत्रों में परियोजनाओं का वित्त पोषण
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, सिंचाई, कृषि-बीमा, कृषि-ऋण, स्वच्छता, पशु-स्वास्थ्य आदि परियोजनाओं का वित्त पोषण ।

THE HINDU

Legal battle over validity of Places of Worship Act gains momentum

June 11, 2022 09:20 pm | Updated June 12, 2022 12:01 pm IST - NEW DELHI

उपासना स्थल अधिनियम 1991

Cut-off date 15 August 1947

SC में याचिका दायर की गई है कि:

- 15-08-1947 की **cut-off date** मनमानी है
- **Cut-off date** को बदलकर 1192 ईस्वी कर दिया जाए
- 1192 ईस्वी में जो भी था, उसे पुनर्स्थापित किया जाए

Megaliths

3rd century BC
Sanchi Stupa

5th century AD
Shiva temple, Nachna-Kuthara, MP

7th century AD
Cheraman Juma Masjid

16th century AD
Kartarpur Gurudwara

Background: **(Prelims के लिए महत्वपूर्ण नहीं)**

- धर्म विश्वासों का समूह है। जैसे-जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, वैसे-वैसे **belief system** / मान्यता/धर्म भी विकसित हुए।
- इतिहास के हर दौर में, एकसमान **belief system** वाले लोगो द्वारा, कुछ स्मारकों का निर्माण किया जाता रहा है ।
- हारे हुए शासको के महत्वपूर्ण स्मारकों को नष्ट करना और उसके खंडहरों पर नई इमारत का निर्माण करना, ये पूरे विश्व मे लगभग हर जगह और सभी धर्मों के राजाओं द्वारा किया गया ।
- कुछ लोग चाहते हैं कि इतिहास को उलट दिया जाए, और इन स्मारकों को पहले की तरह कर दिया जाए। ऐसा करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं।
  1) हम कितना पीछे जाना चाहते हैं, यह तय करने के लिए एक **cut-off date**
  2) ऐतिहासिक घटनाओं का सटीक कालक्रम **(chronology)**

  Note: *इतिहास में हम जितना पीछे जाते हैं, इतिहास उतना ही अनिश्चित होता जाता है।*
- 1980 के दशक में बीजेपी ने कुछ स्मारकों के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए एक मजबूत जनमत बनाया
- इसलिए, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस ने कानून द्वारा 15-08-1947 को **cut-off date** बनाया

उपासना स्थल अधिनियम 1991

- ❑ यह पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है
  - ➢ सभी पूजा स्थलों का धार्मिक चरित्र वो ही रहेगा, जो 15-08-1947 को था
- ❑ किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का कोई भी प्रयास एक दंडनीय अपराध है
  - ➢ पूजा स्थल के चरित्र को बदलने से जुड़े केस बंद हो जाएंगे और नए केस नहीं लिए जाएंगे
- ❑ यह कानून राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होगा

Sample Question निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम (chronology) में लिखे

1. बौद्ध स्तूपों का निर्माण
2. पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्धों का उत्पीड़न
3. हिंदू मंदिरों का निर्माण
4. मुस्लिम मस्जिदों का निर्माण
5. तराइन का द्वितीय युद्ध
6. सिख गुरुद्वारों का निर्माण

उत्तर: 1-2-3-4-5-6

2500 BC	हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा मृतकों को दफनाया जाना (IVC में कोई मंदिर नहीं मिला)
4th cent BC	बौद्ध स्तूपों का निर्माण। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था
2nd cent BC	पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्धों का उत्पीड़न
4th cent AD	हिंदू मंदिरों का निर्माण। गुफाओं से असंतुष्ट होकर, गुप्त साम्राज्य ने मंदिरों का निर्माण शुरू किया
629 AD	केरल में भारत की पहली मस्जिद (चेरामन जुमा मस्जिद) बनी
1192 AD	तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ (पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच)
1521 AD	करतारपुर में विश्व का पहला गुरुद्वारा बना
1526 AD	पानीपत का प्रथम युद्ध (बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच)
1613 AD	सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्थायी कारखाना
1757 AD	प्लासी का युद्ध
1857 AD	बहादुर शाह जफर का शासन समाप्त
1858 AD	भारत में ब्रिटिश-क्राउन का शासन शुरू

राष्ट्रीय ध्वज

चौड़ाई और लंबाई का अनुपात- 2:3

https://knowindia.india.gov.in/my-india-my-pride/indian-tricolor.php

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Explained: What is the Flag Code and how has it been changed recently?

New Delhi | Updated: July 14, 2022 14:32 IST NewsGuard

The Flag Code of India, 2002 was amended vide Order dated December 30, 2021, and National Flag made of polyester or machine made flag have also been allowed. Now, the National Flag shall be made of hand-spun, hand-woven or machine-made cotton/polyester/wool/silk/khadi bunting, as per the amended flag code.

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Flag Code of India: Tricolour can now stay hoisted day & night

New Delhi | Updated: July 24, 2022 01:38 IST NewsGuard

The national flag can now remain hoisted through the night if it is in the open and hoisted by a member of the public. As the central government launches a Har Ghar Tiranga campaign from August 13, the Ministry of Home Affairs on Wednesday amended the Flag Code of India 2002 to allow for the national flag to be flown even at night. Earlier, the flag could be hoisted only between sunrise and sunset.

झंडे के रंग

- केसरिया देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है
- सफेद (धर्म चक्र के साथ) शांति और सत्य को दर्शाता है
- हरा रंग उर्वरता, वृद्धि और पवित्रता को दर्शाता है

चक्र

- 24 तीलियाँ , नेवी-ब्लू रंग
- इसे अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के "धर्म चक्र" से लिया गया है
- ये दर्शाता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है

ध्वज संहिता (Flag Code)

- 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया
- नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों/कार्यालयों/कारखानों पर झण्डा फहराने की अनुमति दी गई (न कि केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, जैसा कि पहले था)

Important points

- झंडे का इस्तेमाल साम्प्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्र के रूप में नहीं किया जा सकता
- झंडा, हर मौसम में (मौसम की परवाह किए बिना) फहराया जाना चाहिए
- इसे जानबूझकर जमीन/फर्श पर फेंकने/छूने नहीं दिया जाना चाहिए
- कोई अन्य झंडा या तोरण (बंटिंग), इससे ऊंचा नहीं लगाया जा सकता है
- झंडे का उपयोग तोरण (बंटिंग), रिबन (रोसेट) या फेस्टून के रूप में नहीं किया जा सकता है
- फूल/माला/प्रतीक-चिन्ह/अन्य किसी भी वस्तु को झंडे पर या झंडे के ऊपर नहीं रखा जा सकता है

- **1921**
  गांधी जी ने पिंगली वैंकैया से झंडा डिजाइन करने को कहा
- **1931**
  कराची अधिवेशन में 7 सदस्यीय समिति का गठन
- **23 जून 1947**
  संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद के अधीन एक अस्थायी (Ad-hoc) ध्वज समिति का गठन किया गया

तोरण / बंटिंग

रिबन

मैडम भीकाजी कामा
(1861-1936)
विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति
[22 अगस्त 1907 को जर्मनी के श्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन (International Socialist Conference) में भारतीय ध्वज फहराया था]

पिंगली वेंकैया
(1876 - 1963)
उन्होंने उस ध्वज को डिजाइन किया था जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधारित है।

उत्तराखंड PCS (Prelims) 2005
'भारतीय राष्ट्रीय ध्वज' पर पहिया किसका प्रतीक है?
(a) आज़ादी
(b) न्याय
(c) समानता
(d) भाईचारा

BPSC 2016
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है:
(a) संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत
(b) **संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत**
(c) संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
(d) संविधान का अनुच्छेद 25 के अंतर्गत

ALL INCLUSIVE IAS

बेनामी

THE HINDU

Supreme Court strikes down provision of 1988 Benami law

August 23, 2022 05:01 pm | Updated 09:51 pm IST – New Delhi

In a decision much-awaited by businesses, a three-judge Bench led by Chief Justice N.V. Ramana, declared as unconstitutional Sections 3(2) and 5 introduced through the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act of 2016. The 2016 law amended the original Benami Act of 1988, expanding it to 72 Sections from a mere nine.

Section 3(2) mandates three years of imprisonment for those who had entered into *benami* transactions between September 5, 1988, and October 25, 2016. That is, a person can be sent behind bars for a *benami* transaction entered into 28 years before the Section even came into existence.

THE HINDU

Supreme Court to consider hearing in open court a review petition filed by Centre against 2022 judgment

January 31, 2023 11:58 am | Updated 11:58 am IST – NEW DELHI

Chief Justice of India D. Y. Chandrachud on January 31 agreed to consider hearing in open court a review filed by the government against a 2022 judgment which declared as "unconstitutional and manifestly arbitrary" amendments introduced in the benami law in 2016.

The amendments had applied retrospectively and mandated sending a person to prison for three years even as it empowered the Centre to confiscate "any property" subject to a benami transaction.

बेनामी	'कोई नाम नहीं' या 'बिना नाम के'
बेनामीदार	वह व्यक्ति जिसके नाम पर संपत्ति पंजीकृत है
लाभकारी स्वामित्व /लाभार्थी मालिक	वास्तविक मालिक (जो पैसा चुकाता है, संपत्ति का आनंद लेता है)
बेनामी संपत्ति	संपत्ति प्रॉक्सी व्यक्ति या गैर-मौजूद व्यक्ति के नाम पर ली जाती है

संपत्ति	भूमि, वाहन, आभूषण, शेयर, नकद, FD, अमूर्त/अस्पर्शी वस्तु (पेटेंट, logo , सॉफ्टवेयर) आदि
उद्देश्य	धोखाधड़ी करना, अवैध गतिविधि छिपाना, आय छिपाना, कर चुकाने से बचना, आदि
सज़ा	1-7 साल की जेल, संपत्ति के उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value) का 25% तक जुर्माना

Prelims 2017

बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी संपत्ति का लेन-देन बेनामी लेनदेन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेनदेन के बारे में अवगत नहीं है।
2. बेनामी पाई गई सम्पतियाँ सरकार द्वारा जब्त किये जाने के लिए दायी होंगी ।
3. यह अधिनियम जांच के लिए तीन प्राधिकारियों का उपबंध करता है किन्तु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता ।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2** (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

व्याख्या

- ❑ दोनों ही सजा के भागीदार होंगे । चाहे बेनामीदार को संपत्ति या 'लाभार्थी मालिक' के बारे में जानकारी हो या न हो ।
- ❑ बेनामी संपत्ति, भारत सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है
- ❑ जांच-पड़ताल चार अधिकारियों द्वारा की जाएगी
  - ➢ आरंभ करने वाला अधिकारी, अनुमोदन प्राधिकारी, प्रशासक, निर्णायक प्राधिकारी
  - ➢ निर्णायक प्राधिकारी के फैसले के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) में अपील की जा सकती है, और उसके बाद फिर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है

1988 बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988
2016 इस कानून में संशोधन किया गया। लेकिन इस संशोधन को SC में चुनौती दी गई
2022 SC ने कहा कि कुछ धाराएं अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करती हैं
2023 SC ने कहा कि वह अपने 2022 के फैसले की समीक्षा करेंगे

उदाहरण : 2016 के संशोधन के अनुसार,

- यदि लेन-देन 2016 के बाद हुई, तो 7 साल की जेल
- यदि लेन-देन 2016 से पहले हुई, तो 3 साल की जेल

Problem: पूर्वप्रभावी दंड **(Retrospective Punishment)**, अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करता है

Practice Question निम्नलिखित में से किस प्रकार की संपत्तियां बेनामी हैं (उत्तर: कोई भी नहीं)

1) अन्य सदस्यों के लाभ के लिए एक **HUF** के कर्ता (Karta) या सदस्य द्वारा धारित संपत्ति
2) किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या बच्चों के नाम पर रखी गई संपत्ति
3) किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यासिक क्षमता/**Fiduciary Capacity** (निदेशक, ट्रस्टी आदि) में धारित संपत्ति
4) किसी भी व्यक्ति द्वारा भाई या बहन के साथ संयुक्त स्वामित्व के रूप में धारित संपत्ति

Practice Question काला धन क्या है?

(A) एक अवैध मुद्रा (B) एक नकली मुद्रा (Fake Currency)
(C) बुरी मुद्रा/निकृष्ट मुद्रा (Bad Money) (D) **एक अवैध आय, जिस पर आयकर का भुगतान नहीं किया गया है**

शत्रु संपत्ति (Enemy Property)

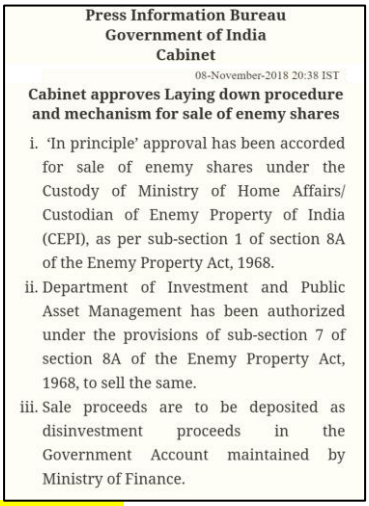

Press Information Bureau
Government of India
Cabinet

08-November-2018 20:38 IST

Cabinet approves Laying down procedure and mechanism for sale of enemy shares

i. 'In principle' approval has been accorded for sale of enemy shares under the Custody of Ministry of Home Affairs/ Custodian of Enemy Property of India (CEPI), as per sub-section 1 of section 8A of the Enemy Property Act, 1968.

ii. Department of Investment and Public Asset Management has been authorized under the provisions of sub-section 7 of section 8A of the Enemy Property Act, 1968, to sell the same.

iii. Sale proceeds are to be deposited as disinvestment proceeds in the Government Account maintained by Ministry of Finance.

ANI
South Asia's Leading Multimedia News Agency

CBI registers FIRs over irregularities in leasing out of enemy property, searches conducted in 3 states

ANI | Updated: Jun 16, 2022 19:34 IST

New Delhi [India], June 16 (ANI): The Central Bureau of Investigation conducted searches in three states on Thursday in the matter where the custodian of enemy property for India (CEPI) has caused a huge loss to the Government by leasing out highly commercial land at nominal rates in favour of lessees by manipulation and forging the documents.

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Government monetised enemy properties worth Rs 3,400 crore

New Delhi | February 21, 2023 11:39 IST NewsGuard

The government has earned over Rs 3,400 crore from disposal of enemy properties, mostly movable assets like shares and gold, officials said.

Enemy properties are those left behind by people who took citizenship of Pakistan and China after leaving India during the partition and post the 1962 and 1965 wars.

No immovable enemy property has so far been monetised by the government.

Background: **(Prelims के लिए महत्वपूर्ण नहीं)**

- युद्ध के दौरान, देश अक्सर दुश्मन देश/उसके नागरिकों/कंपनियों की संपत्ति जब्त कर लेते हैं।
- 1962, 1965, 1971 के युद्धों के दौरान, भारत ने भारतीय रक्षा अधिनियमों (Defence of India Acts) के तहत पाकिस्तान और चीन के नागरिकों/कंपनियों की संपत्ति जब्त की। इन अधिनियमों के अनुसार, वे देश 'दुश्मन' हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया हो ।
- भारतीय रक्षा अधिनियम, अस्थायी कानून थे जो युद्ध समाप्त होने के बाद बंद/ख़त्म हो गए ।
- युद्ध के दौरान जब्त की गई संपत्ति के प्रशासन के लिए सरकार ने 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया।

2017 का संशोधन

- 1968 के बाद हुई शत्रु संपत्तियों की कानूनी बिक्री को रद्द करता है ।
- अभिरक्षक (CEPI) को शत्रु संपत्ति का मालिक बनाता है (1968 से पूर्वप्रभावी रूप (retrospectively) से लागू)
- सिविल कोर्ट्स को शत्रु संपत्ति से संबंधित विवादों की सुनवाई करने से रोकता है। केस सीधे हाईकोर्ट में जाएगा।
- शत्रु के कानूनी उत्तराधिकारी को भी शत्रु ही माना जाएगा , भले ही उसकी वर्तमान राष्ट्रीयता कुछ भी (भारत, शत्रु देश या कोई अन्य देश) हो।

शत्रु संपत्ति अभिरक्षक [Custodian of Enemy Property for India CEPI]

- शत्रु संपत्ति अधिनियम,1968 के तहत एक वैधानिक निकाय है
- गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है (2007 से)
- **मुख्य कार्य**- शत्रु संपत्ति की पहचान, घोषणा, संरक्षण, प्रबंधन और निपटान करना

राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता National Building Code

THE TIMES OF INDIA

Quake up call: Turkiye, Syria impact magnified by poor construction. India must ensure building codes are followed

February 8, 2023, 8:04 PM IST / TOI Edit in TOI Editorials,

It's not that India doesn't have norms for earthquake-resistant construction. There is the National Building Code (NBC), 2016, with specific sections on earthquake-resistant design and construction. But there's no law asking for compliance. In Delhi an estimated 90% of buildings are at risk of collapsing in case of a strong earthquake. In 2019, MCD had drafted a safety audit policy to protect buildings from earthquakes. But this failed to take off because the onus of conducting and paying for the audit was put on the public.

नेशनल बिल्डिंग कोड 2016

- BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा प्रकाशित (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)
- यह सरकार और निजी एजेंसियों के लिए एक मॉडल कोड है
- इसमें भवन निर्माण को विनियमित (regulate) करने के लिए दिशानिर्देश हैं
- इसमें डिजाइन, सामग्री, अग्नि सुरक्षा, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स आदि शामिल हैं।
- इसे पहली बार 1970 में योजना आयोग के कहने पर प्रकाशित किया गया था

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन

- 1960, दिल्ली
- नवरत्न PSU
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs)

महारत्न

Ministry of Heavy Industries

Ratna Status to CPSEs

Posted On: 03 DEC 2019 12:24PM by PIB Delhi

महारत्न	12
नवरत्न	12
मिनीरत्न-I	62
मिनीरत्न-II	12
30-11-2022 तक	

महारत्न स्टेटस के लिए मानदंड (सभी शर्तों को पूरा करना होगा)

- पहले से ही नवरत्न हो
- भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो
- पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक **टर्नओवर > ₹ 25,000 करोड़**
- पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक **नेट वर्थ > ₹ 15,000 करोड़**
- पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक **नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स > ₹ 5,000 करोड़**
- महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति/अंतर्राष्ट्रीय संचालन हो ।

महारत्न CPSEs

1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. कोल इंडिया लिमिटेड
4. गेल (GAIL) इंडिया लिमिटेड
5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. NTPC लिमिटेड
8. आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड
9. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
10. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
12. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

नवरत्न CPSEs

1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
4. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
5. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
6. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
7. नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
8. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9. NMDC लिमिटेड
10. ऑयल इंडिया लिमिटेड
11. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
12. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्रोत: https://dpe.gov.in/about-us/policy-i-division/list-maharatna-navratna-and-miniratna-cpses

आधार

Polity क्लास-4	पेज-42
टाइमस्टैम्प हिंदी वीडियो	1:47:26
टाइमस्टैम्प अंग्रेजी वीडियो	1:54:44

आधार का उपयोग किया जा सकता है?

- गुमशुदा बच्चों की पहचान के लिए? **हाँ**
- अज्ञात शव के फिंगरप्रिंट्स से उसका विवरण प्राप्त करने के लिए? **नहीं**
- अपराध स्थल से प्राप्त फिंगरप्रिंट्स के आधार पर अज्ञात अपराधी का विवरण प्राप्त करने के लिए? **नहीं**

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Explained: Why, according to UIDAI, Aadhaar data can't be used in police investigations

New Delhi | Updated: May 10, 2022 07:36 IST

NewsGuard

- आधार में 1:1 मैचिंग होती है, जिसके लिए व्यक्ति का आधार नंबर होना आवश्यक है।
- आधार में 1:N मैचिंग (किसी एक फिंगरप्रिंट को UIDAI डेटाबेस के बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स से मैच करना) नहीं होती है (नया आधार नंबर बनाने को छोड़कर)
- तकनीकी लिमिटेशंस के अलावा भी, आधार अधिनियम 2016, UIDAI को किसी भी कारणवश, किसी के भी साथ कोर बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने से रोकता है।

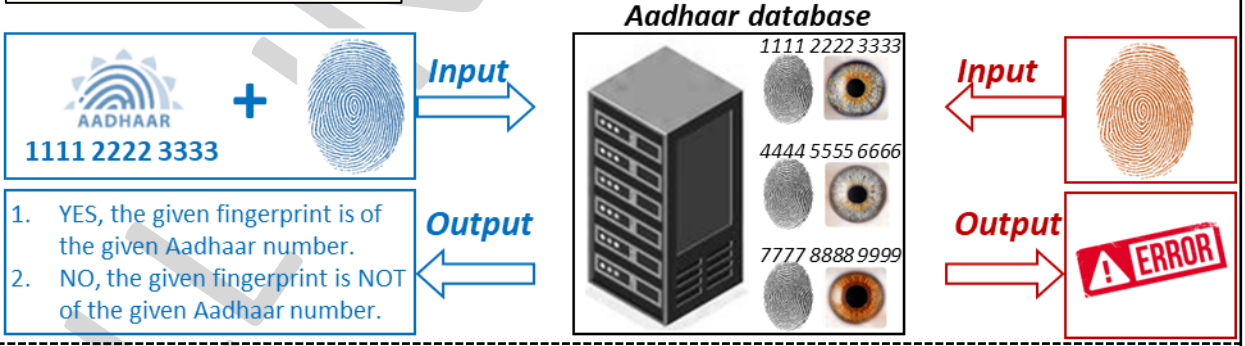

ब्लू आधार /बाल आधार https://uidai.gov.in/en/contact-support/have-any-question/299-english-uk/faqs/enrolment-update/enrolling-children.html

- 5 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा।
- उन्हें माता-पिता से जुड़ी जनसांख्यिकीय (Demographic) जानकारी और चेहरे की फोटो के आधार पर आधार मिलेगा ।
- जब वे 5 और 15 साल के हो जाएंगे तो उन्हें अपने बायोमेट्रिक्स (10 उंगलियां, आइरिस, चेहरे की फोटो) को अपडेट करना होगा ।